

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-18/01/2026

विषय:- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रु० 65,00,00,000/- (रुपये सैसठ करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक-22.07.2025, पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एव वित्त विभाग के पत्रांक-580/वि०, दिनांक-30.07.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में रु० 140.00 करोड़ की राशि इस परियोजना हेतु विमुक्त की गयी है। विदित हो कि उक्त योजनान्तर्गत "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में रु० 140.00 करोड़ के विरुद्ध रु० 75.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-215(7), दिनांक-18.08.2025 दी जा चुकी है।

2- ज्ञातव्य है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-1377(1), दिनांक-06.12.2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम (योजना) स्वीकृत है।

3- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र०स०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश/आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2018-19	5,00,00,000/-	स०-88(1)ब०, दिनांक-08.01.2019
2	2019-20	200,00,00,000/-	स०-1360(1), दिनांक-03.10.2019
3	2020-21	69,54,00,000/-	स०-252(1), दिनांक-10.03.2021
4	2021-22	82,50,00,000/-	स०-409(1), दिनांक-16.06.2021
5	2021-22	58,45,00,000/-	स०-389(7), दिनांक-11.03.2022
6	2022-23	50,00,00,000/-	स०-89(7), दिनांक-30.06.2022
7	2022-23	4,30,57,00,000/-	स०-290(7), दिनांक-24.11.2022
8	2023-24	61,00,00,000/-	स०-196(7), दिनांक-28.08.2023
9	2023-24	9,22,00,000/-	स०-390(7), दिनांक-03.01.2024

10	2023-24	29,12,70,000 /-	स0-640(7), दिनाक-14 03 2024
11	2024-25	24,00,00,000 /-	स0-82(7), दिनांक-25 06 2024
12	2024-25	2,10,00,00,000 /-	स0-154(7), दिनाक-29 08 2024
13	2024-25	2,12,77,00,000 /-	स0-303(7), दिनाक-20 12 2024
14	2024-25	30,00,00,000 /-	स0-497(7), दिनाक-10 03 2025
15	2025-26	75,00,00,000 /-	स0-215(7), दिनाक-18 08 2025
16	2025-26	40,00,00,000 /-	स0-351(7), दिनाक-06 10.2025
17	2025-26	30,00,00,000 /-	स0-394(7), दिनाक-05 11 2025
18	2025-26	50,00,00,000 /-	स0-422(7), दिनाक-03 12 2025
कुल योग-		16,67,17,70,000 /-	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम0बी0बी0एस0 नामाकन क्षमता एव 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु0 5540,07,00,000 /- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रु0 65,00,00,000 /- (रुपये सैंसठ करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5- कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-1377(1), दिनांक-06 12.2018 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17 04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06 05 06, 2938/वि0(2), एव दिनांक-08 04 08, 3758/वि0, दिनांक-31 05 2017 एव 12888/वि0, दिनांक-03.12 2024, के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबधित राशि/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

8- इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि0, दिनांक-04 07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि0, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी0एल0 खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि0, दिनांक-29 03 2023 एव पत्रांक-580/वि0, दिनांक-30.07.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी0एल0 एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी0एल0 खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।


11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या--1/प०मे०कॉ०अ०-07/2018 के पृष्ठ-137/टि० पर प्राप्त है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-1/प०मे०कॉ०अ०-07/2018 - 32(7A)/स्वा०, पटना, दिनांक- 18/01/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7ए, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को यथाशीघ्र ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव ।